तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/8/22	प्रधावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 30/8/22 को पेश हो।	
30/8/22	पत्रावली पेश हुई। अभि० संघ उच्चैन ने कार्य स्थगन रखा है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 20/9/22 को पेश हो।	
20/9/22	प्रधावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 24/11/22 को पेश हो।	
24/11/22	पत्रावली पेश हुई। अभि० उपस्थित उभय अभिभाषक के अभि० की बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया प्रा० पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर कुल पत्रावली के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सिद्धार्थ पलानीचामी (आई.ए.एस)
वाद क्रमांकः— 23/2021

1. मुकेश कुमार पुत्र समयसिंह 2. सरजीता पत्नी मुकेश	जाति गुर्जर निवासी नगला बौसोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

बनाम

.....प्रार्थीगण

1. छीतरसिंह 2. गिरधर सिंह 3. केदार कौर जोजा/0 सम्पति	जातियान गुर्जर निवासी नगला बौसोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—
1. श्री नरेन्द्रपाल सिंह कुशवाह एडवोकेट
2. श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः— 22/11/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नं0 950/0.11, 951/0.19, 952/0.07, 953/0.18, 954/0.23, 955/0.31, 956/0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.45 है0 बांकै ग्राम सूपरा तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मनबट के आधार पर बंटवारा कर काश्त कर रहे हैं। दिनांक 24.10.2021 को सभी अप्रार्थीगण एकराय मशवरा होकर हम प्रार्थीगण की मनबट हिस्से में आयी हुई आराजी पर आगये और आते ही एलानिया तौर पर धमकी दी की हम तुम्हारे मनबंट बंटवारे में आयी हुई आराजी जो तुमने अधिक उपजाउ बना ली है उसे अपने कब्जे में लेकर किसी ताकतवर व्यक्ति को रहन व्यय मुन्तकिल कर देंगे। उक्त धमकी से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई। दिनांक 29.03.2022 को अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में

Scanned with ACE Scanner

गलत व मिथ्या तथ्य दर्ज कराये हैं तथा हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मनबट के आधार पर अलग अलग शांतिपूर्वक काश्त कर रहे हैं एवं किसी भी प्रकार की धमकी देने से इन्कार किया एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, शपथ पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विवादित आराजी में सहखातेदार हैं।

अतः प्राइमा फेसी केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं0 950/0.11, 951/0.19, 952/0.07, 953/0.18, 954/0.23, 955/0.31, 956/0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.45 है0 बांकै ग्राम सूपरा प्रार्थीगण के हक हिस्से तक उसके कब्जे–कास्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सिद्धार्थ पलानिचामी(आई0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned with ACE Scanner